

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा  
पीठासीन अधिकारी - देवेन्द्रकुमार  
आई०ए०एस०



प्रार्थना पत्र सं० 83/2024 अंतर्गत धारा 3 जी(5) रा.रा.अ.

1. भगवती पत्नि जौहरीलाल
2. वेदप्रकाश पुत्र हरीशचन्द्र
3. योगेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद धनेटवाल निवासी महवा तहसील महवा जिला दौसा

... प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दौसा जरिये परियोजना निदेशक ।

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी आर्बिट्रेशन एक्ट विरुद्ध अवार्ड आदेश भू अवाप्ति अधिकारी  
उपखंड अधिकारी महवा

- उपस्थित- 1. श्री दीपक शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2  
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

दिनांक 26.03.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा खसरा नंबर 28/1 के पारित अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण के उपस्थित नहीं होने से उनके प्रार्थना पत्र को ही बहस माना गया। मुताबिक प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 11 को चार लेनीकरण हेतु प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 28/1 रकबा 3320 वर्गमीटर में से 600 वर्गमीटर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अवाप्त की गई। उक्त अवाप्तशुदा भूमि वाणिज्यिक होते हुए भी प्रार्थीगण को आवासीय दर से मुआवजा निर्धारित किया गया है। वाणिज्यिक रूपांतरण आदेश की प्रति संलग्न है। दिनांक 8.4.1993 की जमाबंदी संलग्न है जिसके मुताबिक 1000 वर्गमीटर भूमि वाणिज्यिक एवं 2320 वर्गमीटर आवासीय है। मौके पर राजस्थानी मिडवे होटल 1993 से चल रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 28.8.1993 है। मौके पर बहुत बड़ा हैण्डिकाफ्ट शोरूम चल रहा है। ए.सी. रेस्टोरन्ट एवं ए.सी. रूमस चल रहा है। पूर्णरूपेण व्यवसायिक वस्तुएं यथा पीतल, लकड़ी, मार्बल, सिल्वर, कलात्मक वस्तुएं बेची जा रही है। लॉन में विदेशी पर्यटक बैठकर आमोद प्रमोद एवं भोजन करते हैं। बार लाईसेन्स है मिडवे क्षेत्र में विश्व स्तर की पर्यटक यूनिट है। संपूर्ण विश्व के पर्यटक यहाँ आते हैं। तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी ने यह भारी भूल की है कि पीछे वाणिज्यिक वाणिज्यिक भूमि है जिसके लगती हुई जब पीछे वाणिज्यिक भूमि है तो आगे की एन.एच से लगती हुई तो बेशकीमती वाणिज्यिक भूमि है जिसके लगती हुई भूमियों पर दुकानें बनी हुई हैं। वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही हैं। प्रचलित दर से 65 लाख की मांग के विपरीत केवल 14,99,000/-रु. सन 2006 की आवासीय दर से निर्धारित किया गया है। इससे असंतुष्ट होकर सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति के यहाँ प्रकरण की मौके की भूमि का आकार, उपयोग, प्रकृति, स्थान विशेष परिस्थिति आदि को ध्यान में रखकर मुआवजा तय करने की प्रार्थना की। मिडवे रिसोर्ट की यह अवाप्तशुदा भूमि नाक है जिसके लिए सुंदरता एवं उपयोगिता समाप्त हो गई है जो अपूरणीय क्षति है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पर भूमि अवाप्ति अधिकारी ने जांच रिपोर्ट वास्ते मौका कमिश्नर नायब तहसीलदार महवा को नियुक्त किया

जिला कलेक्टर, दौसा



गया एवं स्वयं भूमि अवाप्ति अधिकारी ने मौका देखा एवं मौके पर भूमि को पूर्ण रूपेण वाणिज्यिक प्रयोजन की मानी। फलस्वरूप भूमि अवाप्ति अधिकारी ने सन 2006 की ही वाणिज्यिक दर का अवार्ड जारी किया दिनांक 25.1.2010 भुगतान वास्ते पत्र क्रमांक:124 दिनांक 27.1.2010 के द्वारा अवार्ड परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा को भिजवाया। परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा ने दिनांक 1.2.2010 को अवार्ड इस आक्षेप के साथ लौटा दिया कि एस.डी.ओ. भूमि अवाप्ति अधिकारी अवार्ड परिवर्तन की शक्ति सुनिश्चित करे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को सन 2006 की दरसे तय किया गया अवार्ड भी नहीं मिल पायेगा। अतः एनएचएआई से मिली जानकारी के अनुसार उपसचिव, भारत सरकार पोत परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्रमांक:एनएचएआई/एलआर/आरआर/2001/09 दिनांक 23.11.2007 के क्रम में प्रार्थीगण को न्याय दिलाने में श्रीमानजी ही सक्षम है। अवाप्तशुदा भूमि की प्रकृति, आकार, उपयोग, स्थान, विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण को उचित मुआवजा दिलवाया जावे।

4. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थीयान की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 28/1 ग्राम धन्तूरी तहसील महवा में स्थित है जिसमे से 600 वर्गमीटर भूमि एन.एच.11 में अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का मुआवजा डीएलसी वर्ष 2006 की आबादी की दर से दिनांक 24.5.2008 को निर्धारित किया गया था। उक्त मुआवजा से असंतुष्ट होकर प्रार्थीयान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुनः सुनवाई की जाकर संशोधित मुआवजा निर्धारण करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ वाणिज्यिक प्रयोजन से संबंधित दस्तावेज पेश किये जाकर उक्त भूमि का कुल मुआवजा राशि 65 लाख रुपये दिलवाने की मांग की गई। प्रार्थीगण ने अन्य दस्तावेजों के साथ व्यापारिक फर्म का रजिस्ट्रेशन सन 1993 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्थानी मिडवे सन 1993 से व्यापारिक (वाणिज्यिक) रूप में संचालित है। इस अवाप्तशुदा भूमि के पृष्ठ भाग में वाणिज्यिक रूपांतरण होना माना गया है। जिसके आधार पर प्रार्थीगण का यह कहना है कि जो पृष्ठ भाग वाणिज्यिक रूपांतरित है तो इसी भूमि का अग्रभाग जो कि एन.एच.11 से लगता हुआ है, निश्चित रूप से ही वाणिज्यिक होना स्वाभावित है। वास्तव में तो आगे का अवाप्तशुदा अग्रिम भाग संपूर्ण होटल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि होटल की नाक है। रोड से लगती हुई पूर्णरूपेण व्यावसायिक प्रयोजन के काम आ रही है। यह भूमि बेशकीमती है फिर भी हमें कम से कम वाणिज्यिक दर से तो मुआवजा दिया जाना चाहिए तथा वर्ष 2006 की डीएलसी के बजाय वर्तमान डीएलसी की दर से दिया जावे। उक्त संदर्भ में मौका रिपोर्ट लेने बाबत नायब तहसीलदार महवा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। मौका कमिश्नर रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से जाहिर है कि अवाप्तशुदा भूमि वाणिज्यिक है जिसकी पुष्टि हेतु स्वयं भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा दिनांक 22.1.2010 को मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर राजस्थानी मिडवे होटल चल रहा है जो कि पूर्णरूपेण वाणिज्यिक है। मौके पर संपूर्ण भूमि वाणिज्यिक प्रयोजना में काम में आ रही है। इस आधार पर अवाप्तशुदा भूमि का संशोधित मुआवजा वाणिज्यिक दर से बनाकर दिनांक 27.1.2010 को परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा को भेजा गया जहाँ से दिनांक 1.2.2010 को इस आक्षेप के साथ वापिस लौटाया गया कि अवार्ड परिवर्तन की शक्ति सुनिश्चित करें।
5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2 ने बहस में कथन किया कि पोत परिवहन, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सडक परिवहन और राजमार्ग विभाग) केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के महवा भरतपुर खण्ड को चौड़ा करने हेतु भूमि अवाप्ति करने वास्ते भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई जिसमें राजस्थान राज्य के महवा भरतपुर खण्ड के 110.500 कि०मि० से 119.600 कि०मि०

जिला कलेक्टर, दौसा



के खण्ड को चौड़ा करने के लिए एवम चौड़ा करने के उद्देश्य से भूमि अर्जन के लिए उपखण्ड अधिकारी महवा जिसे कि सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत किया गया उपखण्ड अधिकारी महवा एस डी ओ को भूमि अर्जन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3। की उपधारा 1 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के महवा भरतपुर खण्ड के 110.500 कि०मि० से 119.600 कि०मि० तक के भूखण्ड को चौड़ा करने फौर लेन कर उसका अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचारण के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिनियम की धारा 3। के तहत अधिसूचना दिनांक 10.07.06 को जारी की तथा इस अधिसूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए के तहत भारत के राजपत्र में किया गया जिसे राजस्थान राज्य में अधिनियम की धारा 3 ए की उपधारा 3 के तहत सक्षम प्राधिकारी ने स्थानीय समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका में दिनांक 14-09-06 व दैनिक भास्कर में दिनांक 15-9-06 को हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कराया। सक्षम प्राधिकारी ने इस अधिसूचना के स्थानीय प्रकाशन में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अर्जन की जाने वाली भूमि के हितबद्ध पक्षकार जिसका कि अवाप्त की जाने वाली भूमि में हित है। धारा 3 ए के तहत जो अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 10.07.06 को जारी की गई है इस तथ्य का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया कि धारा 3 सी के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी करने के दिनांक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। अधिनियम की धारा 3 सी (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के क्रम में प्रार्थीगण द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गयी। उक्त आपत्ति का प्रकरण सं. 37 में दिनांक 15.05.08 को भूमि अवाप्ति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय अनुसार "राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 के फोरलेनीकरण हेतु ग्राम धनतूरी की अवाप्ताधीन भूमि खसरा नं. 28 के संबंध में आपत्ति कर्ता वेदप्रकाश धनेटवाल वगै० ने आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 3डी अधिसूचना में सेदूराम पुत्र जवाहर लाल मीणा हिस्सा 1/2 प्रकाशित हुआ है। जबकि सेदूराम का सम्पूर्ण हिस्सा बाद अकृषि रूपान्तरण आवेदकगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व पंचायत के आवासीय पट्टा के अनुसार क्रय कर लिया है मौके पर राजस्थानी मिडवे नाम से होटल/रिसोर्ट संचालित हो रहा है। अतः वाणिज्यिक दर से मुआवजा आपत्ति कर्ता को दिया जावे। आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत नवीनतम जमाबन्दी व नक्शा अनुसार खसरा नं. 28 /1 रकबा 3320 वर्गमीटर में से 2300 वर्ग मीटर गैर मुमकिन आबादी (आवासीय) तथा 1000 वर्ग मीटर वाणिज्यिक श्रीमति भगवती देवी पत्नि जौहरी लाल, वेदप्रकाश पुत्र हरिशचन्द्र योगेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद धनेटवाल निवासी महवा समभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित रकबा एन. एच. 11 से लगता हुआ है। उसके पीछे वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित रकबा स्थित है। अतः अवाप्ताधीन 600 वर्ग मीटर भूमि का मुआवजा आवासीय दर से उपरोक्त आपत्तिकर्ता खातेदारों को देय होगा। यह आदेश अवार्ड का भाग होगा। आदेश सुनाया गया।" राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत जारी अधिसूचना के परीपेक्ष में जो आपत्तियां की गई उनका धारा उसी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गई जिसके आधार पर दिनांक 7.06.2006 को सडक परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 3डी के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख है कि इस अधिसूचना के



राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूचित में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लमंगो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। धारा 3जी के तहत अवाप्त शुदा भूमि का मूल्य एवम निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी (7) में दिये गये निर्देशों की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि की गणना उप पंजीयक से प्राप्त निर्धारित डी एल सी दर के आधार पर किया गया। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजा का निर्धारण राजस्थान सरकार के बैसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया। धारा 3 एच के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध व्यक्ति के नाम सक्षम अधिकारी को जमा करा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 28/1 किस्म आवासीय का अवाप्तशुदा रकबा 600 वर्ग मीटर की डी.एल. सी. दर 2345 रुपये प्रतिवर्ग मीटर के हिसाब से अवाप्तशुदा भूमि, निर्माण व 10 प्रतिशत अतिरिक्त सुखाचार राशि सहित कुल मुआवजा राशि 16,91,397/- रुपये निर्धारित की गई जिसका भुगतान मिन उत्तरदाता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करवा दिया गया है। प्रार्थी ने नितान्त ही गलत तथ्य उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं। प्रार्थी अब गलत आधारों पर दुबारा मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है। भूमि अवाप्ती एवं अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की पालना में मुआवजा राशि जमा करवायी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 28/1 वाके ग्राम धन्तूरी में से 600 वर्गमीटर आवासीय भूमि अवाप्त की गई थी जिसका विधिवत मुआवजा अवार्ड पारित किया जा चुका है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।
7. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता व अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2 क्री बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. प्रकरण में विवाद का बिन्दु है कि खसरा नंबर 28/1 जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाईकरण में 600 वर्गमीटर भूमि की अवाप्ति की गई है। उक्त भूमि का मुआवजा आवासीय दर से दिया जावे अथवा वाणिज्यिक दर से दिया जावे। जहाँ एक तरफ वर्तमान में मुआवजा आवासीय दर से दिया गया है वहीं प्रार्थी द्वारा मुआवजे का निर्धारण वाणिज्यिक दर से दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है।
9. इस संबंध में हमारे समक्ष तथ्य इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए के तहत दिनांक 10.7.2006 को जारी की गई थी जिसका प्रकाशन दिनांक 14.9.2006 को राजस्थान पत्रिका में एवं 15.9.2006 को दैनिक भास्कर में किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन के कम में अपनी आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसका निस्तारण प्रकरण सं० 37 दिनांक 15.5.2008 को निर्णय पारित किया गया था जिसमें उनके द्वारा निम्न अभिकथन किया गया:—  
“आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत नवीनतम जमाबंदी व नक्शा अनुसार खसरा नंबर 28/1 रकबा 3320 वर्गमीटर में से 2300 वर्गमीटर गै०मु०आबादी/आवासीय तथा 1000 वर्गमीटर वाणिज्यिक श्रीमती भगवती देवी पत्नि जौहरी लाल, वेदप्रकाश पुत्र हरीशचन्द्र, योगेश पुत्र जगदीश प्रसाद धनेटवाल निवासी महवा समभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली के सम राजस्व रिकार्ड अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित रकबा एन.एच.11 से लगता हुआ है एवं उसके पीछे वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपांतरित रकबा है। अतः अवाप्ताधीन 600 वर्गमीटर भूमि का आवासीय दर से उपरांक्त आपत्तिकर्ता खातेदार को देय है। यह आदेश अवार्ड का भाग रहेगा।” हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट है कि रिकार्ड अनुसार एवं रूपांतरण आदेश

प्रार्थी द्वारा करवाये गये थे उसके अनुरूप आवासीय हिस्से का अधिग्रहण किया गया है ना कि वाणिज्यिक हिस्से का।

10. प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में उपखंड अधिकारी महवा की रिपोर्ट दिनांक 22.2.2010 एवं आदेश दिनांक 25.1.2010 प्रस्तुत किया गया। जिसमें उपखंड अधिकारी महवा द्वारा यह अंकित किया गया है कि मौका अनुसार जिस हिस्से का अधिग्रहण किया गया है उसे वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है। अतः मुआवजे का निर्धारण वाणिज्यिक दर से किया जाना उचित है।
11. अतः हमारे समक्ष यह तथ्य है कि उक्त रकबा जिसका अधिग्रहण किया गया है वह रिकार्ड में आवासीय के रूप में दर्ज है एवं मौके पर व्यावसायिक गतिविधि संचालित है।
12. मैं उपखंड अधिकारी महवा की रिपोर्ट दिनांक 22.2.2010 जिसमें उनके द्वारा उक्त अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक दर से दिये जाने के संबंध में के अभिमत से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि यदि यह तथ्य सही है तो प्रार्थी द्वारा राज्य सरकार के साथ फॉंड, मिसरिप्रजेन्टेशन किया गया है। जहाँ तक स्वयं द्वारा राज्य सरकार को देय शुल्क व राशि की बचत करने हेतु भूमि का रूपांतरण आवासीय रूप में करवाया है एवं उक्त भूमि पर विधि, नियम, नीति व प्लानिंग के सिद्धान्त के विरुद्ध जाकर वहाँ वाणिज्यिक गतिविधि संचालित कर ली है। वहीं प्रार्थी द्वारा अब उक्त अधिग्रहित संरचना एवं भूमि के लिए स्वयं को पीडित पक्ष बताते हुए वाणिज्यिक दर से मुआवजे की मांग की जा रही है। प्रार्थी द्वारा दोनों तरफ से (राज्य सरकार को नियमानुसार संपरिवर्तन शुल्क न देकर एवं अधिक मुआवजे की मांग कर) फायदे लिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं जो कि विधि विरुद्ध है। वहीं उपखंड अधिकारी महवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.5.2008 जिसमें उनके द्वारा अवाप्त की गई 600 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा आवासीय दर से देने का निर्णय पारित किया गया है से सहमत हूँ।
13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि का आवासीय दर से किया गया मूल्यांकन अवार्ड आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।



(देवेन्द्र कुमार)  
जिला कलेक्टर, दौसा